

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17 / विविध-01-58 / 2026

पटना, दिनांक :- / / 2026

डा० सीमा कुमारी, सह-प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-220A तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-640 दिनांक-19.01.2015 के आलोक में दिनांक-15.04.2026 से 14.09.2026 तक कुल-153 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1814(25) दिनांक-27.08.2025 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता प्रतिवदेन के आलोक में डा० कुमारी के पक्ष में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत कुल-730-153 = 577 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश आदेय रहेगी।

3. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17 / विविध-01-58 / 2026 436 (17) पटना, दिनांक :- 13 / 4 / 2026


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० सीमा कुमारी, सह-प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
MK